International Journal of Advanced Research and Development
ISSN: 2455-4030
Impact Factor: RJIF 5.24
www.advancedjournal.com
Volume 3; Issue 2; March 2018; Page No. 654-657

विद्यार्थियों में मानवाधिकार जागरूकता का विश्लेषणात्मक अध्ययन

अजीत कुमार यादव
शोधार्थी, शिक्षा संकाय, आर0बी0एस0 कालेज, आगरा, उत्तर प्रदेश, भारत।

सारांश
मानवाधिकार सभ्य समाज की आधारशिला है यह सामाजिक जीवन की अनिवार्य आवश्यकताओं में है जिसके बिना व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता है, चाहे वह किसी भी प्रकार की शासन व्यवस्था क्यों न हो, राज्य का सर्वोत्तम लक्ष्य अपने नागरिकों के मानवाधिकारों का संरक्षण करना है। मानवाधिकार प्रत्येक शासन व्यवस्था का अभिन्न अंग है लोकतांत्रिक व्यवस्था में तो इसकी अनिवार्यता और भी बढ़ जाती है। जहां अधिकारों के बिना मानव जीवन के अस्तित्व की कल्पना ही नहीं की जा सकती। इसलिए यह नितांत आवश्यक हो जाता है कि राजय अपने नागरिकों को उनके अधिकारों एवं मूल्यों की जानकारी दे, इन्हीं दृष्टिकोणों को ध्यान में रखकर शोधार्थी ने विश्वविद्यालयी विद्यार्थियों में इन अधिकारों के प्रति कितनी सजगता है, जानने का प्रयास किया गया है।

मूल शब्द : विश्वविद्यालयी विद्यार्थी, मानवाधिकार जागरूकता

प्रस्तावना
प्रसिद्ध फ्रांसीसी दार्शनिक तथा लेखक जीन जैक्स रूसों ने आज से लगभग 240 साल पूर्व लिखा था ''मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है पर सर्वत्र ही जंजीरों में जकड़ा हुआ है।'' अपनी इस स्वतंत्र चेतना में रूसों ने शोषण, असमानता, क्षमता के बंधनों में कैद उस मानव को स्वतंत्रता की तथा समानता का जीवन प्राप्त करने की आकांक्षा को व्यक्त किया है जो वर्षों से अपने अधिकारों के लिये संघर्षरत रहा है। वास्तव में अनेक सामाजिक विचारक तथा राजनीतिज्ञ आंदोलन बहुत समय से मनुष्य को उन जंजीरों से मुक्त कराने की, जिनमें वह जकड़ा रहा है, उन्हें उन अधिकारों का उपभोग करते हुए देखने का प्रयत्न करते रहे हैं जिन्हें रूसों ''स्वाभाविक और अविभाज्य समझते थे''। वस्तुतः अधिकारों की लड़ाई तो मनुष्य के पैदा होते ही प्रारम्भ हो जाती है और जब वह अपनी माँ के दूध के लिये रोता है, तो अधिकारों की प्रारम्भिक नींव तो यहीं से रखी जाती है। अतः मानवाधिकार मनुष्य को प्राप्त वे न्यूनतम अधिकार हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को जन्म से ही प्राप्त होते हैं। मानवाधिकार ही व्यक्ति को अपनी गरिमा बनाये रखने के लिये आवश्यक है। अतः यह सामाजिक जीवन की अनिवार्य आवश्यकताएँ है जिनके बिना न तो व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है और न ही समाज के लिये उपयोगी कार्य कर सकता है। अधिकारों के बिना मानव जीवन के अस्तित्व की कल्पना भी नहीं की जा सकती लोकतंत्र, निष्पक्ष न्यायापालिका तथा स्वतंत्र मीडिया इन अधिकारों के कार्यान्वयन को सरल बनाती है।

आज समाज में कहीं–कहीं उनके उल्लंघनों की बात भी सामने आती रहती है और जहां कहीं भी लोगों को आर्थिक, भौतिक तथा राजनीतिक संसाधनों से वंचित रखा जाता है। वहां पर स्वाभाविक रूप से पिछड़ापन और सामाजिक समावेशन की कमी आ जाती है। इन्हीं असमानताओं को दूर करने के लिये राज्य द्वारा अपने नागरिकों को बहुत से मानवीय अधिकार दिये, जिन्हें हर स्तर पर लागू करने का प्रयास हो रहा है। और नर–नारियों के समान बुनियादी अधिकारों के प्रति सार्वभौम सम्मान में वृद्धि किया जा रहा है।

मानवाधिकारों का उद्भव
विश्व में मानवाधिकारों के लिये संघर्ष बहुत समय से चलते आ रहे हैं मानवाधिकारों के संघर्ष का प्रथम प्रमाण 1215 ई0 मैग्नाकार्टा घोषणा पत्र के रूप में मिलता है। 1920 में राष्ट्रसंघ का गठन, प्रथम विश्व युद्ध में ''शांति लीग'' की स्थापना आदि ने मानवाधिकारों को परिलक्षित किया और सार्वभौमिक मानवाधिकारों की संपूर्ण विश्व में बातें तब उठी जब 20वीं शदी के मध्य में द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका से त्रस्त्र विश्व बर्बादी की कगार पर पहुंच चुका था। और 1946 में रूजवेल्ट द्वारा मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में मानव अधिकारों के आदर्श को स्वीकार करने के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ के मानव अधिकार आयोग को मानव अधिकारों के लिये मूलभूत सिद्धान्तों का मसौदा तैयार करने का कार्य सौंपा और तीन सालों के बाद 10 दिसम्बर 1948 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया इस घोषणा पत्र में 30 अनुच्छेदों में मानवाधिकारों के बारे में विस्तृत रूप से बताया गया है और 10 दिसम्बर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस की घोषणा की गई। इसी के साथ भारत ने 1993 में मानवाधिकार आयोग का गठन किया और इसे व्यापक सुधारों के मार्गदर्शक के रूप में स्वीकार किया।

मानवाधिकार का अर्थ एवं वर्गीकरण
मानव अधिकार प्राप्त ऐसे न्यूनतम अधिकार हैं जिसमें स्वतंत्रता, समानता भयमुक्त, दासतामुक्त जीवन जीने का अधिकार सभी को है। अर्थात ऐसे मौलिक अधिकार जिसके सभी मानव अधिकारी है। अबाध रूप से जीवने जीने, स्वतंत्रता की, बोलने की आजादी, खाने–पीने की आजादी, सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने, काम करने, अच्छी शिक्षा ग्रहण करने के अधिकार मानवाधिकार शब्द को अर्थांकित करते हैं। मानव एवं अधिकार दो शब्दों से मिलकर बना है जिसमें ''अधिकार'' शब्द का स्पष्टीकरण करते हुये लास्की ने कहा है ''अधिकार मानव जीवन की ऐसी परिस्थितियाँ है जिसके बिना सामान्यतया कोई व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नहीं कर सकता है।

मानवाधिकारों का वर्गीकरण लुइस0बी0 ने अपनी पुस्तक The New International Law : Particistians of the right of Individuals rather than of states में किया है और मानवाधिकारों को उनकी प्रकृति के अनुसार निम्न भागों में वर्गीकृत किया है।

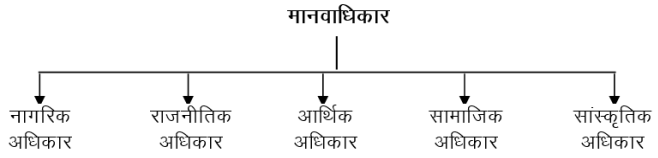

निर्बाध एवं उन्मुक्त रूप से संचालित करने और समाज में रहने वालों से सम्बन्ध स्थापित करने और समान रूप से रहने के अधिकार ही नागरिक अधिकार है। अपने सामाजिक जीवन की रक्षा करना, निर्वाध रूप से घूमना, कहीं भी रहना व्यवसाय करना आदि नागरिक अधिकारों में आते है।

राजनीतिक अधिकार

व्यक्ति जन्म से ही राज्य का नागरिक होता है। ओर प्रत्येक राज्य अपने नागरिकों को एक समान नागरिक अधिकार प्रदान करते है। जिसमें मत देने का अधिकार, निर्वाचित होने का अधिकार, सरकारी पदों को प्राप्त करने का अधिकार, वस्तुतः इन अधिकारों की एक अपनी सीमा भी है। जिनमें पागल, विदेशी, दिवालिये और घोर अपराधी को ये अधिकार नहीं दिये जाते हैं।

आर्थिक अधिकार

यह वह अधिकार है जो राज्य अपने नागरिकों को आर्थिक उन्नयन के लिये प्रदान करता है। रोजगार का अधिकार, इसमें सभी नागरिकों को अपनी इच्छानुसार कोई भी वृत्ति उपजीविका, व्यापार अथवा कारोबार करने की पूर्ण स्वतंत्रता है जिसमें वह आजीविका से सम्बन्धित किसी भी प्रकार के संगठन का निर्माण या इसमें भाग भी ले सकता है।

समाजिक अधिकार

मनुष्य समाज में रहते हुये समाजिकता को ग्रहण करता है और उस समाज का सदस्य हो जाता है। और उसे समाज से कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं। जिसमें, परिवार, संगठन, घर, विद्यालय आदि अन्य भौतिक संसाधनों के उपयोग का अधिकार प्राप्त करता है।

सांस्कृतिक अधिकार

सांस्कृतिक अधिकार समाज में रह कर अपनी संस्कृति सभ्यता को मानने और आगे बढ़ाने का नैसर्गिक अधिकार है। जिसमें शिक्षा, सांस्कृतिक सम्मेलन, आमोद–प्रमोद साहित्यिक सृजनशीलता जैसी गतिविधियाँ सम्मिलित होती है।

शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में मानवाधिकार की भूमिका

मानव की प्रकृति हमेशा आगे बढ़ना है और सदैव शास्वत मूल्यों के साथ अपनी संस्कृति और सभ्यता को लेकर आगे बढ़ता रहा है। जिसका एक महत्वपूर्ण घटक शिक्षा रही है। मानव जीवन में शिक्षा एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं स्वयं को योग्य और श्रेष्ठ बनाने का सर्वाधिक सशक्त माध्यम शिक्षा है। शिक्षा समानता, स्वतंत्रता, बन्धुत्व सहयोग तथा समाजिक न्याय लाने का प्रभावशाली माध्यम है और मानवाधिकारों को प्राप्त करने का साधन है। यही व्यक्ति को अपने अधिकारों का बोध कराती है। शिक्षा ही वह साधन है जो मानव को अपने अधिकारों का पालन के लिए अन्तः प्रेरित करती है। अतः हमारे विद्यार्थियों में शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित करना राज्य सरकारों का काम है और जिसके माध्यम से छात्रों में अपने मानवाधिकारों का बोध हो सके यह हमारे पाठ्यक्रम निर्माता और प्रगतिशील शिक्षकों पर निर्भर करता है। शिक्षक राष्ट्र निर्माण का सूत्रधार है। वह विद्यार्थियों में नवजीवन प्रदान करता है और शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करता है।

अतः हम कह सकते हैं कि विद्यालयों में मानवाधिकारों की विषयवस्तु एवं पाठ्यसामग्री क्रियाओं के माध्यम से समानता, बन्धुत्व, राष्ट्र भावना जैसे मूल्यों का विकास किया जाता है। शिक्षा में मानवाधिकार मूल्यों के समावेशन से सभी वर्गों का विकास और एकत्ममानववाद की संकल्पना को साकार किया जा सकता है।

शोध समस्या का औचित्य

वैश्विक घटनाक्रमों को ध्यान से देखें तो हम पाते हैं कि आरंभ से लेकर आज तक मानवाधिकारों का उल्लंघन खुलेआम हो रहा है। जिसमें लड़े गये विश्वयुद्धों से लेकर वर्तमान की अलगाववादी, अराजकतावादी संस्कृति में परिलक्षित है। विश्वव्यापी होने वाली घटनाओं से ही संयुक्त राष्ट्र संघ का उदय किया और मानवीय मूल्यों के संरक्षण के लिये ही संयुक्त राष्ट्र ने 1948 में मानवाधिकारों की घोषणा करते हुये कहा कि मानव अधिकारों की मान्यता एवं सम्मान संसार में स्वतंत्रता, शांति एवं न्याय की स्थापना की है।'' समाज में परिवर्तन शिक्षा के माध्यम से ही किया जा सकता है। शिक्षा बदलते हुये सामाजिक मांगों को पूरी करती है और नवाचार के कई माध्यमों से शिक्षा द्वारा मानवाधिकारों को समाज तक पहुंचाया जा सकता है। यद्यपि मानवाधिकार शिक्षा की आवश्यकता हर स्तर पर महसूस होती है। परन्तु विश्वविद्यालयी स्तर पर इसको कार्यशीलता ज्यादा है। आज का विद्यार्थी भविष्य का राष्ट्र निर्माता है। इस कारण शिक्षा मानवाधिकारों की अवधारणा सिद्धान्तों संस्कृति, सभ्यता, परम्पराओं को आने वाले संततियों में इस प्रकार भर सकती है जिससे साधारण मनुष्य को इसका ज्ञान हो सके और वह अपने अधिकारों के लिये सजग एवं सशक्त प्रयास कर सके एवं विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों में इनकी कितनी जानकारी है और उनको और किस प्रकार की सामान्य जानकारी देने की आवश्यकता है इसका पता चल सके जिससे वह समाज के अन्य व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा में महत्वपूर्ण योगदान देकर श्रेष्ठ समाज की स्थापना कर सकें।

सम्बन्धित साहित्य का अध्ययन

सिंह, गजेन्द्र प्रताप (2002) ने अपने शोध ''मानवाधिकार हनन सम्बन्धी मीडिया अंतर्वस्तु का विश्लेषणात्मक अध्ययन'' किया और अखबारों एवं मीडिया में मानवाधिकार सम्बन्धी खबरों के विजय पर प्रकाश डाला।

देवी, ममता (2010) ने अपने शोध ''नारी मानवाधिकार के संवर्धन में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका : रोहतक जिले के विशेष संदर्भ में'' महिलाओं की स्थिति को विभिन्न आयामों में जांचने की कोशिश की और पाया कि महिला हिंसा लिंग भेद, भ्रूण हत्या तथा छेड़छाड़, बलात्कार की घटनायें रोहतक जिले में बढ़ी है।

कृष्णा राधे (2011) ने अपने शोध ''ह्यूमन राइट्स इन इण्डिया'' में बताया कि भारत के प्रजातांत्रिक प्रणाली ने और संविधान द्वारा मानवाधिकारों की महत्व देना अन्य कई देशों से भारत को अग्रणी बनाता है।

कौर0 एस0 (2015) ने पी0एस0ई0बी0 और सी0बी0एस0ई0 में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों में मानवाधिकार जागरूकता का अध्ययन किया और निष्कर्षित किया कि C.B.S.E. में कार्यरत पुरूष शिक्षकों में महिला शिक्षिकाओं की तुलना में अधिक

जागरूकता पायी जाती है।
बायल, कैटी एण्ड ह्युज, ऐडल (2017) ने अपने शोध ''आडेन्टीफाई रूट्स टू रेमिडी फार वायलेशन ऑफ इकोनामिक सोशल एण्ड कल्चरल राइट'' में पाया कि स्काटलैण्ड में अधिकारी के संरक्षण हेतु वैधानिक नियमों की कमी है जिससे मानवीय वस्तुस्थिति में अन्य देशों से काफी अन्तर है।

शोध उद्देश्य

1. विश्वविद्यालयी विद्यार्थियों में मानवाधिकार जागरूकता का पता लगाना।
2. विश्वविद्यालय में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं में मानवाधिकार जागरूकता का तुलनात्मक अध्ययन।

शोध अध्ययन की परिकल्पना

H_1 विश्वविद्यालय में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं के मानवाधिकार जागरूकता में सार्थक अन्तर होगा।
H_1 विश्वविद्यालय में अध्ययनरत कला वर्ग एवं विज्ञान वर्ग के छात्र–छात्राओं के मानवाधिकार जागरूकता में सार्थक अन्तर होगा।

शून्य परिकल्पना

H_{01} विश्वविद्यालय में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं के मानवाधिकार जागरूकता में सार्थक अन्तर नहीं होगा।
H_{02} विश्वविद्यालय में अध्ययनरत कला वर्ग एवं विज्ञान वर्ग के छात्र–छात्राओं में मानवाधिकार जागरूकता में सार्थक अन्तर नहीं होगा।

शोध विधि

प्रस्तुत शोध कार्य वर्णनात्मक अनुसंधान के अन्तर्गत सर्वेक्षणविधि के द्वारा किया गया है।

शोध अध्ययन का क्षेत्र

प्रस्तुत शोध कार्य आगरा जिले में विश्वविद्यालय स्तर पर अध्ययनरत स्नातक स्तर के विद्यार्थियों में मानवाधिकार जागरूकता पर किया गया है।

समष्टि/जनसंख्या

प्रस्तुत शोध अध्ययन में आगरा शहर के विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत स्नातक स्तर के छात्र एवं छात्राओं का समष्टि के रूप में चयन किया गया है।

न्यादर्श

प्रस्तुत अध्ययन में स्तरीकृत न्यादर्श विधि का प्रयोग करते हुये उद्देश्यों के अनुसार आगरा जनपद के सदर तहसील के अन्तर्गत राज्य विश्वविद्यालयों से सम्बन्ध महाविद्यालयों के 200 छात्र–छात्राओं को न्यादर्श हेतु चयन किया गया है।

उपकरण

प्रस्तुत अध्ययन में छात्र–छात्राओं में मानवाधिकार जागरूकता का स्वनिर्मित, मानवाधिकार जागरूकता मापनी का अध्ययन करने के लिये प्रयोग किया है। इस मापनी में कुल चार विमाओं पर आधारित 50 प्रश्न है। जो स्नातक स्तर के विद्यार्थियों की मानवाधिकार जागरूकता जांचने के लिये उपयुक्त है।

शोध प्रविधि

प्रस्तुत शोध कार्य में दत्तों के विश्लेषण हेतु मध्यमान, मानक विचलन एवं t test का प्रयोग किया गया है।

सारणी 1: H_{01} विश्वविद्यालय में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं के मानवाधिकार जागरूकता में सार्थक अन्तर नहीं होगा।

अभियोग्यता	विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत छात्र = 100		विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत छात्रा = 100		D	σ_D	t
	Mean	S.D	Mean	S.D.			
मानवाधिकार जागरूकता	142.41	16	126.06	12.19	16.35	2.011	7.956
निष्कर्ष	$H_1 = \mu_1 - \mu_2 = 0$ 0.05 स्तर पर स्वीकृत $H_{01} = \mu_1 - \mu_2 \neq 0$ 0.05 स्तर पर अस्वीकृत						

सार्थकता स्तर = 0.05 पर table point 1.98

व्याख्या

क्योंकि t का परिगणित मान 7.956 है जो द्विपुच्छीय परीक्षण के लिए 0.5 स्तर पर 1.98 से अधिक है तथा 0.05 स्तर पर t का मान सार्थक है। अतः शोध परिकल्पना स्वीकृत की जाती है और शून्य अस्वीकृत की जाती है। विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों की मानवाधिकार जागरूकता अभिवृत्ति 130 से अधिक है एवं छात्राओं की 130 से कम, अतः जिससे यह अन्तर परिलक्षित होता है।

निष्कर्ष

निष्कर्षतः हम यह कह सकते हैं कि विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत छात्र एवं छात्राओं में मानवाधिकार जागरूकता में अन्तर पाया जाता है और यह अन्तर सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक विभेदकों के कारण होता है। अतः छात्रों की अपेक्षा छात्राओं में अपने अधिकारों के प्रति सजगता कम है जो एक विचारणीय प्रश्न है।

सारणी 2: H_{02} विश्वविद्यालय में अध्ययनरत कला वर्ग एवं विज्ञान वर्ग के छात्र–छात्राओं में मानवाधिकार जागरूकता में सार्थक अन्तर नहीं होगा।

अभियोग्यता	विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत कला वर्ग के विद्यार्थी छ = 100		विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत विज्ञान वर्ग के विद्यार्थी छ = 100		D	σ_D	t
	Mean	S.D	Mean	S.D.			
मानवाधिकार	158	32.98	147	33.79	11	4.72	2.33
निष्कर्ष	$H_1 = \mu_1 - \mu_2 = 0$ 0.05 स्तर पर स्वीकृत $H_{01} = \mu_1 - \mu_2 = 0$ 0.05 स्तर पर अस्वीकृत						

सार्थकता स्तर = 0.05 पर table point 1.98

व्याख्या

क्योंकि t का परिगणित मान 2.33 है जो कि द्विपुच्छीय परीक्षण के लिए 0.5 स्तर पर 1.98 से अधिक है तथा 0.05 स्तर पर t का मान सार्थक है। अतः शोध परिकल्पना स्वीकृत की जाती है और शून्य परिकल्पना अस्वीकृत की जाती है। विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत कला वर्ग के छात्रों की मानवाधिकार जागरूकता अभिवृत्ति 150 से ज्यादा है तथा विज्ञान वर्ग के छात्र की अभिवृत्ति 150 से कम परिलक्षित होती है।

निष्कर्ष

निष्कर्षतः हम यह कह सकते हैं कि विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत कला वर्ग एवं विज्ञान वर्ग के विद्यार्थियों में मानवाधिकार जागरूकता में अन्तर पाया जाता है और यह अन्तर सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक विभेदकों के कारण भी हो सकता है। कला वर्ग के विद्यार्थी विज्ञान वर्ग के विद्यार्थियों से ज्यादा अपने अधिकारों के प्रति सजग एवं सशक्त दिखे।

शोध निष्कर्ष

वर्तमान परिदृश्य में जहां हमने गगनचुम्बी विकास कर अपने जीवन को उच्च बनाने का कार्य किया है वहीं पर कुछ दिशाओं में अभी और कार्य करने की आवश्यकता है। आज मशीनी युग में हम कक्षाओं में मशीनी मानव तैयार कर रहे हैं जिनका वास्तविक उद्देश्य शिक्षा प्राप्त कर जीवकोपार्जन करना रह गया है। आज विश्वविद्यालयी विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता पथभ्रमिता समाज विरोधी गतिविधियों में संलिप्तता सम्भावना स्वयं के अधिकारों एवं दूसरों की भावना का ज्ञान न होने के कारण है। जिसमें, राष्ट्र भावना, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक चेतना, सांस्कृतिक अवमूल्यन जैसे घटक विद्यमान है। अतः आज हमें विश्वविद्यालयों मानवाधिकार जैसे शाश्वत मूल्यों को अनिवार्य रूप से पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाना चाहिये जिससे सह अस्तित्व, सहिष्णुता व भाईचारे की भावना को पोषित करके अलगाववाद, अतांकवाद, सम्प्रदायवाद की कलुषित छाया को समाप्त किया जा सके। जिससे सम्पूर्ण मानवता को अक्षुण्ण रखने और राष्ट्र निर्माण में मदद मिल सके।

शैक्षिक निहितार्थ

- छात्रों में मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ा कर सार्वभौमिक उत्कण्ठा को जागृत किया जा सकता है।
- यह शोध लोगों में सहृदयता विकसित कर सकता है। बन्धुत्व, भाईचारा, सदाचरण को मानवीय मूल्यों में समायोजित करता है।
- मानवाधिकारों के हनन से बचा सकता है। और विद्यार्थियों से सम्बन्धित महत्वपूर्ण मुद्दों में सहायता ढूढ़ने में मददगार साबित हो सकता है।
- मानवाधिकार को शिक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल करके विद्यार्थियों में इसके प्रति चेतना बढ़ाई जा सकती है।
- छात्रों एवं शिक्षकों में मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता पैदा कर योग्य नागरिक बनने में सहायता की जा सकती है।
- शिक्षक एवं छात्र दोनों ही सामाजिक परविर्तन के लिये आवश्यक तत्व है। और इनमें मानवाधिकारों की जागरूकता के भाव को व्यापक रूप से संचारित कर श्रेष्ठ राष्ट्र का निर्माण और सामाजिक बुराईयों से छुटकारा पाया जा सकता है।
- मानवाधिकारों के विविध प्रश्नों एवं आयामों को समझ कर इसको व्यापक स्तर पर शिक्षा पाठ्यक्रमों में लागू करने की आवश्यकता है। जिससे इसका शैक्षिक उपयोग सम्भव हो सके। जिससे वे संतुलित एवं अच्छे समाज की रचना में भागीदार हो सकें।

सन्दर्भ

1. गुप्ता, एस0पी0 (2013), अनुसंधान संदर्शिका, इलाहाबाद : शारदा पुस्तक भवन
2. रूहेला, एस0पी0 (2010), शिक्षा के दार्शनिक तथा समाजशास्त्रीय आधार, आगरा : अग्रवाल पब्लिकेशन
3. मिश्रा, पी0के0 एवं आर0के0 मोहन्ती (2002), ट्रेण्डस एण्ड इस्यूज इन इण्डियन एजुकेशन, मेरठ : लायल बुक डिपों
4. मुखर्जी, रवीन्द्रनाथ (2014), भारतीय समाज एवं संस्कृति, दिल्ली : विवेक प्रकाशन
5. लाल, रमन बिहारी (2014), उदीयमान भारतीय समाज में शिक्षक, मेरठ : रस्तोगी पब्लिकेशन
6. पाण्डेय, रामशकल (1995), भारतीय शिक्षा–दिशा और दिशा, इलाहाबाद : होराईजन पब्लिकेशन।
7. कश्यप, सुभाष (2006), हमारा संविधान, नई दिल्ली, नेशनल बुक ट्रस्ट इण्डिया
8. डेविड, पी0 फारेस्थी (2006), ह्यूमन राइट इन इण्टरनेशनल रिलेशन, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस।
9. जोशी, के.सी0 (2017), अंतराष्ट्रीय विधि और मानवाधिकार लखनऊ : ईस्टर्न बुक कम्पनी।
10. बावेल, बसंती लाल (2016), मानवाधिकार, सेन्ट्रल ला पब्लिकेशन : इलाहाबाद
11. Agrawal, H.O. (2014) मानव अधिकार, सेन्ट्रल ला पब्लिकेशन, इलाहाबाद।
12. सिंह धरम (2015), मानव अधिकार, भारत बुक सेन्टर : दिल्ली
13. वासनिक, के0एच0 (Dec. 2011) मानव अधिकार : लेख पत्र रिसर्च जर्नल ऑफ सोशल एण्ड लाइफ साइंस, रीवा, म0प्र0 Vol. 11, Year 06, pp. 329-332
14. श्यामवती (Dec. 2011), भारत में बाल मानवाधिकार : लेख पत्र, रिसर्च जर्नल ऑफ सोशल एण्ड लाइफ साइंस, रीवा, म0प्र0 Vol. 11, Year 06, pp. 141-142
15. वासनिक, के0एच0 (Dec. 11) मानवाधिकार और दलित : लेखपत्र रिसर्च जर्नल ऑफ सोशल एण्ड लाइफ साइंस, रीवा, म0प्र0 Vol. 11, Year 06, pp. 143-147
16. पालीवाल नरेश (2010) ''माध्यमिक विद्यालयों में मानवाधिकार शिक्षा का तुलनात्मक अध्ययन'', नई शिक्षा, राष्ट्रीय शैक्षिक मासिक पत्रिका, जयपुर, अंक–5, दिसम्बर–2010
17. दयाल जे0के0 एवं कौर (2015) पी0एस0ई0बी0 एवं सी0बी0एस0ई0 मान्यता प्राप्त सकूलों में कार्यरत अध्यापकों में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता का तुलनात्मक अध्ययन, इण्डियन जनरल ऑफ रिसर्च अप्रैल 2015, pp
18. शर्मा, मनीषा (2017), शिक्षकों में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता का विश्लेषणात्मक अध्ययन, रिमार्किंग एन एनलाईजेशन, कानपुर, अंक 2, दिसम्बर 2017, pp. 132.139
19. http://hdl.handle.net/10603/9207
20. shadhganga.inflibnetac.in/handle/10603/5139
21. http://hdl.handle.net/10603/12708
22. http://www.educationindia.net
23. http://www.humanrights.education.info